न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बापिणी जिला फलौदी

पिठासीन अधिकारी :– अमिता विश्नोई (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :– 59/2023
Gcms No- 2018/00010

वादीगण

1. नवलाराम पुत्र जेठाराम
2. शेराराम पुत्र जेठाराम फौत के कायम मुकामः–

2.1 गिरधारीराम पुत्र शेराराम
2.2 बालाराम पुत्र शेराराम
2.3 स्वरूपाराम पुत्र शेराराम
2.4 अलाराम पुत्र शेराराम
2.5 मुन्नी पुत्री शेराराम
2.6 शायरी पुत्री शेराराम
2.7 केसु पुत्री शेराराम
2.8 परमेंश्वरी पुत्री शेराराम
2.9 सीता पुत्री शेराराम
2.10 मगी पुत्री शेराराम
2.11 चुकी पुत्री शेराराम
2.12 चनणी पत्नी शेराराम

सभी जाति प्रजापत निवासी पुनासर तहसील बापिणी जिला फलौदी।

बनाम

प्रतिवादीगण

1. मानाराम पुत्र जेठाराम
2. बाबुलाल पुत्र नेनाराम
   जाति प्रजापत निवासी पुनासर, तहसील बापिणी, जिला फलौदी।
3. शाखा प्रबन्धक, युको बैंक चाडी
4. तहसीलदार बापिणी जिला फलौदी। भुमिधारी सरकार

दावा अन्तर्गत धारा 53,88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

वाद–प्रकरण में पैरोंकार अभिभाषक उपस्थित :–

अधिवक्ता वादीगण की ओर से :– श्री दिनेश मदेरणा।
अधिवक्ता प्रतिवादीगण सख्या (1) :– श्री विक्रमसिंह भाटी।
अधिवक्ता प्रतिवादीगण सख्या (2) :– श्री घेवरराम विश्नोई।
अधिवक्ता प्रतिवादीगण सख्या (3) :– कि ओर से कोई नहीं।
अप्रार्थीगण सख्या (4) की ओर से :– राज–पैरोकार।

कलेक्टर बापिणी

–:: निर्णय ::–

दिनांक 7/10/2025

वादीगण का वाद प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि – तहसील बापिणी के राजस्व ग्राम पुनासर के खसरा नम्बर 530 रकबा 0.0971 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 531 रकबा 2.3876 हैक्टेयर खसरा नंबर 533 रकबा 4.0064 हैक्टेयर, खसरा नंबर 534 रकबा 4.8562 हैक्टेयर खसरा नंबर 535 रकबा 16.6406 हैक्टेयर, ग्राम पिथासर के खसरा नंबर 1059/1 रकबा 2.7114 हैक्टेयर एवं ग्राम पुनासर के खसरा नंबर 1253/1 रकबा 11.7197 हैक्टेयर भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की सामलाती खतेदारी भूमि स्थित है वादीगण ने वादग्रस्त भूमि का विधिवत बन्टवाड़ा करवाने के लिए वाद न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरीये समन तलब किया गया।

सहायक कलेक्टर बापिणी

प्रतिवादीगण 01 की ओर से विक्रमसिंह भाटी व प्रतिवादीगण 02 घेवरराम विश्नोई व प्रतिवादीगण संख्या 3 की तरफ से कोई नहीं उपस्थित हुए।

तथा वाद में दिनांक 31.12.2018 को प्राथमिक डिक्री पर्चा जारी किया जा कर दिनांक 13.02.2019 को विभाजन प्रस्ताव बनाया गया हैं। जिस पर अन्तिम डिक्री दिनांक 29.07.2019 को न्यायालय सहायक कलक्टर औसियां द्वारा कर दिया गया था।

चुकि प्रतिवादीगण द्वारा उक्त निर्णय से अहात होकर न्यायालय राजस्व अपिल प्राधिकरण जोधपुर में नवलाराम बनाम मानाराम वगैरा में धारा 223 में प्राथमिक डिक्री की अपील की गई और इसके साथा अन्तिम डिक्री की अपील की गई। जिसमें प्राथमिक डिक्री को यथावत रखी गई। और अन्तिम डिक्री पर्चा खारीज कर पुनः विभाजन प्रस्ताव मंगवाकर डिक्री करने का निर्णय दिनांक 03.31.2020 को किया गया। कालान्तर में पत्रावली न्यायालय सहायक कलक्टर लोहावट में नम्बर पर लेकर दर्ज किया जा कर इन्तजार विभाजन प्रस्ताव में रखीं जा कर सुनवाई के प्रयाप्त अवसर दिये गये। तथा आदेशिका दिनांक 26.08.2025 को प्रतिवादी की सहमति से अपने-अपने हिस्से की जमीन का बन्टवारा करना स्वीकार करने पर प्राथमिक डिक्री पर्चा जारी कर तहसीलदार बापिणी से विभाजन प्रस्ताव तलब किया गया।

तहसीलदार बापिणी की ओर से विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ जिस पर उभयपक्ष अधिवक्ता को सुना गया। उभय पक्ष अधिवक्ताओं को सुनने पर विभाजन प्रस्ताव के अनुसार अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने वादग्रस्त भूमि का बन्टवाड़ा कर अन्तिम डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया। तहसीलदार बापिणी द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुऐ प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर शामिल मिसल किया जा कर हस्तगत पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन एवं मनन करने पर वादग्रस्त भूमि का विभाजन प्रस्ताव माफिक बन्टवाड़ा किया जाकर खाता अलग किया जाने की मांग की है। वादीगण एंव प्रतिवादीगण को नियमानुसार अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर देते हुए उभयपक्षकारान की साक्ष्य सुनवाई के बाद सहमति व्यक्त करने पर विधिसम्मत बन्टवारा प्रस्ताव और पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया है।

वादीगण एंव प्रतिवादीगण द्वारा वाद विचाराधीन रहते प्रतिवादीगण संख्यां 09 का देहान्त हो लाने पर उनके उत्तराधिकारीयों को पक्षकार आदेश 22 नियम 03 सीपीसी के तहत प्रतिवादीगण संख्या 02 के कायम मुकाम को जोडें जा कर विधिनुसार अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर देते हुए उभयपक्षकारान की सुनवाई के बाद मूल वाद का निस्तारण करना हैं। संशोधित वाद शीर्षक रेकर्ड पर ले कर प्रतिवादीगण संख्या 02 के कायम मुकाम को रेकर्ड पर आने से प्रतिवादी प्रस्थापित किये गये

चूकि वादीगण के वाद का मुख्य अनुतोष बंटवाडे का है न्यायालय निर्देशानुसार राजस्थान काश्तकारी नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए सभी सहखातेदारों को सुचना देकर मौका पर उपस्थित रहने की हिदायत के बाद वादग्रस्त कब्जा काश्त की खातेदारी भूमि में मौका पर जाकर विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया हैं।

अतः तहसीलदार बापिणी द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाने योग्य होने से मंजुर किया जा कर वादी के वाद को माफिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिक्री योग्य पाया गया है।

कलेक्टर बापिणी

सहायक कलेक्टर बापिणी

आदेश

वादीगण का वाद स्वीकार कर माफिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिक्री किया जाता है कि वादग्रस्त भूमि ग्राम पुनासर खुई, पीथासर, पुनासर की जमाबन्दी सम्वंत 2073–2076 के खाता नम्बर 251, 117,84 का विभाजन इस प्रकार किया जाता है कि

क्रम संख्या	नाम खातेदार	हिस्से मे रखे खसरे के नम्बर	रकबा हैक्टेयर में	किस्म	राजस्व ग्राम का नाम
1.	नवलाराम पुत्र जेठाराम जाति कुम्हार (प्रजापत) सा. पुनासर खुर्द खातेदार	1059/1 1253/1 535 535 533 534	1.2687 2.8234 1.5937 2.4451 1.0016 1.1803	बारानी–4	पीथासर पुनासर पुनासर खुर्द
2.	शेराराम पुत्र जेठाराम जाति कुम्हार (प्रजापत) सा. पुनासर खुर्द खातेदार	1059/1 1253/1 535 535 533 534	0.6617 2.4179 1.7867 0.6070 1.0016 1.1803	बारानी–4	पीथासर पुनासर पुनासर खुर्द
3.	मानाराम पुत्र जेठाराम जाति कुम्हार (प्रजापत) सा. पुनासर खुर्द खातेदार रहन ख.न. 1059/1 व 1253/1 को छोडकर रहन यूको बैंक शाखा चाडी	1059/1 1253/1 535 535 531 533 534	0.3784 3.2290 2.1241 1.9146 0.8903 1.0016 1.1803	बारानी–4	पीथासर पुनासर पुनासर खुर्द
4	बाबुलाल पुत्र नेनाराम जाति कुम्हार (प्रजापत) सा. पुनासर खुर्द खातेदार रहन–ख.न. (1059/1 व 1253/1 को छोडकर) रहन यूकौ बैंक शाखा चाडी	1059/1 1253/1 535 535 530 531 533 534	0.2813 2.8234 1.4241 2.6146 0.0971 0.8903 1.0016 1.1803	बारानी–4	पीथासर पुनासर पुनासर खुर्द
5	नवलाराम 1/4, मानाराम 1/4, शेराराम 1/4 पिता जेठाराम, बाबुलाल पुत्र नेनाराम 1/4 जाति कुम्हार (प्रजापत) सा. पुनासर खुर्द खातेदार रहन–मानाराम बाबुलाल का हि. यूको बैंक चाडी ख.न. 535 व 534	1059/1 1253/1 535 534	0.1213 0.4260 0.4856 0.1350	बारानी चतुर्थ	पीथासर पुनासर पुनासर खुर्द

उक्त विभाजन प्रस्ताव सारणी अनुसार हिस्से में रखते हुऐ तथा वादी एंव प्रतिवादीगण के हिस्सा जमाबन्दी में दर्ज खातेदारी नाम व हिस्सेंनानुसार भूमि बंट में विभाजन प्रस्ताव अनुसार रखी जाती है अन्तिम विभाजन प्रस्ताव फर्द दिनांक 02/03/2023 निर्णय का भाग रहेगा। तहसीलदार बापिणी तदनुसार अमल दरामद करें अंतिम डिक्री पर्चा मूर्तिब हो कर सम्बधित को पालनार्थ तेहरीर जारी हो पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 7/11/2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

अमित विश्नोई (RAS)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी बापिणी

सहायक कलेक्टर बापिणी